दिनांक 13.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से महाकुम्भ मेला में आज प्रारम्भ हुए प्रथम स्नान एवं कल मकर संक्रान्ति के अवसर पर अमृत स्नान की तैयारियों के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 13.01.2025 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज/वाराणसी जोन, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र प्रयागराज/चित्रकूट धाम/मिर्जापुर/वाराणसी, पुलिस उप महानिरीक्षक महाकुम्भ मेला प्रयागराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक महाकुम्भ मेला/मिर्जापुर/भदोही/जौनपुर/कौशाम्बी/रायबरेली/प्रतापगढ़/ फतेहपुर/चित्रकूट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से महाकुम्भ मेला में आज प्रारम्भ हुए प्रथम स्नान एवं कल मकर संक्रान्ति के अवसर पर अमृत स्नान की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गये :–

- मकर संक्रान्ति के अवसर पर महाकुम्भ मेला प्रयागराज में देश के कोने–कोने से अपार संख्या में आगमन करने वाले संत/महात्माओं, श्रद्धालुओं तथा पर्याटकों की सप्तचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
- जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी सात सड़क मार्गो तथा उन मार्गो पर पड़ने वाले 08 जनपदो में आने जाने वाले व्यक्तियों की अचुक सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।
- मेला प्राधिकरण द्वारा बनाये गये अखाड़ो के स्नान के क्रम को फॉलो किया जाये तथा इसके लिए अखाड़ो के साथ बेहतर समन्वय बनाये रखा जाये एवं पीए सिस्टम का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

- महाकुम्भ मेला के दौरान सीमावर्ती जनपदो के अधिकारी/कर्मचारीगण लगातार फुट पेट्रोलिंग करते हुए निरन्तर भ्रमणशील रहें साथ ही यूपी–112 के वाहनो को भी सक्रिय रखा जाये। संगम नोज पर अधिकारी/कर्मचारियों की रोटेशनवार डियूटी लगाई जाये ताकि कर्मचारीगण सतर्कता एवं सहजता के साथ प्रभावीशाली ठंग से डियूटी कर सके।
- महाकुम्भ मेला के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाये तथा वाहनो के पार्किंग व्यवस्था का प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाये।
- महाकुम्भ मेला हेतु जो भी संसाधन उपलब्ध कराये गये है उन सभी संसाधनो का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाये तथा टी–थर्ड ड्रोन एवं अण्डर वॉटर ड्रोन आदि का प्रभावी प्रयोग किया जाये तथा रात्रि की पेट्रोलिंग पर्याप्त प्रकाश उपकरणो के साथ की जाये।
- रेलवे स्टेशनो पर कर्मचारियों के माध्यम से श्रद्धालुओं के उतरने के बाद गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए पर्याप्त संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगायी जाये तथा श्रद्धालुओं को पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार जानकारी दी जाये।
- महाकुम्भ मेला क्षेत्र एवं पुलिस मुख्यालय में स्थापित कंट्रोलरूम द्वारा 24X7 मॉनिटरिंग की जाये तथा छोटी से छोटी घटनाओं को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया जाये।
- महाकुम्भ मेला, प्रयागराज कमिश्नरेट, जोन स्तर एवं मुख्यालय में स्थापित सोशल मीडिया टीम द्वारा 24X7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी रखी जाये तथा आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- जैसा कि आप अवगत है कि महाकुम्भ मेला में देश विदेश से संत/महात्मा, श्रद्धालु/पर्याटको का आगमन हो रहा है, डियूटी में लगे कर्मचारियों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आदर्श पुलसिंग का उदाहरण प्रस्तुत किया जाये।

वीडियों क्रॉन्सफ्रेसिंग के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक–112, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक 13.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 11 हजार 100 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.01.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पोस्टमार्टम हाऊस रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–चन्दन 2–सोनू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 11 हजार 100 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त चन्दन के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद चन्दौली, अयोध्या व झारखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चन्दन निवासी नया टोला थाना रौतारा जनपद कटिहार बिहार।

2–सोनू निवासी नया टोला गेरावाड़ी जुराबगंज थाना कोढ़ा जनपद कटिहार बिहार।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 11 हजार 100 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना मेडिकल

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये आभूषण व 03 हजार रूपये नगद**
- **01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.01.2025 को थाना मेडिकल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बीएनजी कट के पास गेशुपुर रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त निशु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये आभूषण व 03 हजार रूपये नगद, 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मेडिकल पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मेडिकल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निशु निवासी ग्राम अब्दुलापुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूटे गये आभूषण व 03 हजार रूपये नगद।

2–01 दो पहिया वाहन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना दुबग्गा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के (पीली–सफेद धातू) आभूषण**
- **4500/–रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 13.01.2025 को थाना दुबग्गा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पॉवर हाउस के चौराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–मो0 आफाक 2–रामकुमार 3–निखिल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद धातू) आभूषण, 4500/–रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आफाक के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 आफाक निवासी भदेवा नई बस्ती थाना बाजारखाला, लखनऊ हालपता—ऐशबाग थाना बाजारखाला, लखनऊ।

2—रामकुमार निवासी भदेवा नई बस्ती थाना बाजारखाला, लखनऊ।

3—निखिल निवासी पुराना तोप खाना, बालागंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी के (पीली—सफेद धातू) आभूषण।

2—4500/—रूपये नगद।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **32 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंको के)**
- **01 हुण्डई एक्सेंट कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 13.01.2025 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार चेकिंग के दौरान बड़कता पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रामनिवास घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 हजार रूपये नगद, 32 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंको के), 01 हुण्डई एक्सेंट कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामनिवास निवासी खांडा खेडी थाना नारनोन्द जनपद हिसार, हरियाणा।

बरामदगी

1—20 हजार रूपये नगद।

2—32 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंको के)।

3—01 हुण्डई एक्सेंट कार।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद महोबा/थाना पनवाड़ी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ट्रैक्टर बरामद**

दिनॉकः 13.01.2025 को थाना पनवाड़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नकरा बार्डर से 03 अभियुक्तों 1—सावधान उर्फ छोटे 2—दारा उर्फ पिन्टू 3— अम्बरीस उर्फ बब्लू उर्फ बलराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 ट्रैक्टर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पनवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पनवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दारा उर्फ पिन्टू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद कन्नौज, कानपुर देहात, महोबा, औरैया के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त अम्बरीस उर्फ बल्लू उर्फ बलराम के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद महोबा व हरदोई के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सावधान उर्फ छोटे निवासी ग्राम खुजुर्रा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

2—दारा उर्फ पिन्टू निवासी रामगढ़ थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

3—अम्बरीस उर्फ बब्लू उर्फ बलराम निवासी ग्राम खुजुर्रा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—चोरी की 02 ट्रैक्टर।

एसटीएफः जनपद आजमगढ़ से रुपये 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद विश्वकर्मा पल्साना (गुजरात) से गिरफ्तार।

दिनांकः 11—01—2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना रौनापर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2018 धारा 3/5/7/12/25 आर्म्स एक्ट में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद विश्वकर्मा को पल्साना (गुजरात) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

प्रमोद विश्वकर्मा पुत्र मोती विश्वकर्मा, नि0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः—

मकान नं0—32, सूर्यान्श रेजीडेंसी के पास हल्धरू रोड बगुमरा थाना पल्साना, सूरत गुजरात। दिनांक 11—01—2025 को समय लगभग 11.45 प्रातः बजे ।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 11–01–2024 को निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश मिश्र, मु0आ0 यशवंत सिंह, मु0आ0 वीर प्रताप की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में सूरत (गुजरात) में मौजूद थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना रौनापर, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–55/2018 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद विश्वकर्मा मकान नं0–32, सूर्यान्श रेजीडेंसी के पास हल्धरू रोड बगुमरा थानाक्षेत्र पल्साना, में मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये हुए स्थान से वांछित अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि वर्ष–2011 में शेषनाथ विश्वकर्मा पुत्र बुद्धू विश्वकर्मा निवासी रामगढ़ थाना जीयनपुर, आजमगढ़ की हत्या कर लाश गायब कर दिया था। इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ से जेल गया था। इसके पिता द्वारा अवैध शस्त्र का निर्माण किया जाता था उन्ही के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने व उसकी सप्लाई का काम करता था। वर्ष–2018 में अवैध शस्त्र बनाने एवं बेचने के सम्बध में थाना रौनापर, जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0 55/2018 धारा 3/5/7/12/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें यह वांछित था और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप–छिपाकर सूरत में वर्ष–2018 से रह रहा था। इसी अभियोग में इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हुआ था। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम–बम्हौर, थाना–मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में तमसा नदी के किनारे जंगल में कई वर्षो से अवैध शस्त्र बनाकर उ0प्र0 एवं अन्य राज्यों में उसकी सप्लाई करता था। यही पर उसके पिता मोती विश्वकर्मा अवैध शस्त्रों के कारोबार में लिप्त था जिसके साथ वह भी अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं बिक्री किया करता था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना पल्साना, जनपद सूरत में दाखिल करके ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु दिनांक 11–01–2025 को मा0 न्यायालय प्रिंसिपल सीविल जज व जे0एम0एफ0सी0 कोर्ट पल्साना सूरत गुजरात के समक्ष प्रस्तुत करके ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया है, जिसे आज दिनांक 13–01–2025 को मा0 न्यायालय सीनियर

डिवीजन कोर्ट आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>प्रमोद विश्वकर्मा पुत्र मोती विश्वकर्मा का ज्ञात अपराधिक इतिहास–</u>

1– मु0अ0सं0–383/11 धारा–120बी, 201,302,34 भादवि थाना महराजगंज आजमगढ़।

2– मु0अ0सं0–55/18 धारा–3/5/7/12/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

3– मु0अ0सं0–246/22 धारा–174ए भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।

————